"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2011—कार्तिक 20, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1473/733/अव./2011/1-8/स्था.—श्री अमृत लाल लिखार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 7-10-2011 से 14-10-2011 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 6, 15 एवं 16-10-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री लिखार, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

3. अवकाश अवधि में श्री लिखार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लिखार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1475/562/अव./2011/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1180-81/562/2011/1-8/स्था, दिनांक 2-7-2011 द्वारा श्री के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 18-7-2011 से 23-7-2011 तक 06 दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1477/729/अव./2011/1-8/स्था.—श्री जय नारायण अवस्थी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 7-9-2011 से 29-9-2011 तक 23 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 30-9-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अवस्थी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अवस्थी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1479/739/अव./2011/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को दिनांक 12-8-2011 से 27-8-2011 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 28-8-2011 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मालवीय, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मालवीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1481/710/अव./2011/1-8/स्था.—श्री संजय कुमार अलंग, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 29-8-2011 से 3-9-2011 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 28-8-2011 एवं 4-9-2011 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अलंग, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अलंग को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अलंग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

क्रमांक 2115/2287/2011/1-8.—श्री अमन कुमार सिंह, सचिव, मुख्यमंत्री, सचिव ऊर्जा, सूचना एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्रेडा, जो दिनांक 10 से 21 अक्टूबर 2011 तक विदेश प्रवास पर हैं, के प्रवास से लौटने तक, उपरोक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार श्री अजय सिंह, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 1-5/2011/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस" के अवसर पर मंगलवार, दिनांक 01 नवम्बर, 2011, को छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं में "सामान्य अवकाश" घोषित करता है.

2. यह अवकाश बैंकों एवं कोषालयों के लिए लागू नहीं होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ. 2-4/2007/1-8 (पार्ट).—डॉ. तपेश चन्द्र गुप्ता, (प्राध्यापक) पदेन उप-सचिव, छ.ग. शासन, संस्कृति विभाग की सेवाएं उच्च शिक्षा विभाग से लेते हुए, डॉ. गुप्ता को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, उप सचिव, छ.ग. शासन, पर्यटन विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एम. जी. श्रीवास्तव, (उप महाप्रबंधक) पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन, पर्यटन विभाग मंत्रालय की सेवाएं तत्काल प्रभाव से पर्यटन मंडल, रायपुर को मूलत: वापस लौटाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्रमांक 7522/2477/21-ब/छ.ग./2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री हरिनारायण गुप्ता, अधिवक्ता, सूरजपुर जिला-सरगुजा (अंबिकापुर) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि, जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक, सूरजपुर जिला सरगुजा (अंबिकापुर) नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्रमांक 7523/2477/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री हरिनारायण गुप्ता अधिवक्ता, सूरजपुर जिला-सरगुजा (अंबिकापुर) को, शासन की ओर से पैरवी करने के लिए, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि, जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक, सूरजपुर जिला सरगुजा (अंबिकापुर) नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2011

क्रमांक 7712/डी-2598/21-बजट/छ.ग./2011.—राज्य शासन, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 1 (14)/2011-E-II (B) दि. 03-10-2011 के अनुसार, छ.ग. राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में केन्द्र के समान वृद्धि करते हुए, दि. 01-07-2011 से 51 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करता है.

इस संबंध में वित्त विभाग के यू.ओ. क्र. 339/00001532/वित्त विभाग/ब-3/2011, दि. 25-10-2011 के द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविशंकर शर्मा, अतिरिक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 8-1/2010/21/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मे. एन.टी.पी.सी. लिमि., सीपत, बिलासपुर के बायलर क्रमांक-T0401901 को दिनांक 31-08-2011 से 28-02-2012 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बायलरों को नीचे दर्शाये अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

क्र.	बायलर क्र.	छूट की समयावधि
1.	M.P./4297	दिनांक 05-07-11 से 04-10-11 तक
2.	M.P./3657	दिनांक 29-07-11 से 28-08-11 तक
3.	M.P./3530	दिनांक 04-08-11 से 03-12-11 तक

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 2-33/दो-गृह/रापुसे/2007.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 50 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल, आरक्षक (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियमों की उद्देशिका में क्रमश: शब्द "भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक", "छत्तीसगढ़ के राज्यपाल" तथा "बनाते" के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 50 की उप-धारा (1)", "राज्य सरकार" तथा "बनाता" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 2-33/दो-गृह/रापुसे/2007.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 18-08-2011 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 18th August 2011

No. F 2-33/2-Home/SPS/2007.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 50 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Government hereby makes the following amendment to the Chhattisgarh Police Executive Force, Constable (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2007, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In preamble of the rules, for the words "proviso to Article 309 of the constitution of India", "Government of Chhattisgarh" and "make", the words "sub-section (1) of Section 50 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007)", "State Government" and "makes" shall be substituted, respectively.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 15-2/15-1/2011/2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ (सहकारी) सेवा भर्ती नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहकारिता	छत्तीसगढ़ सहकारी सेवा श्रेणी-दो सहायक पंजीयक	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक उपाधि.	

टीप :— छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर, जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी."

No. F 15-2/15-1/2011/2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh (Co-operative) Service Recruitment Rules, 1965, namely :—

AMENDMENT

In the said rules ,—

For Schedule-III, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-III
(See rule-8)

Name of the Department	Name of Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Minimum Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Co-operative	Chhattisgarh Co-operative Service Class-II, Assistant Registrar	21 Year	30 Year	Graduate Degree from any recognized University	

Note :—The upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the State Government, from time to time."

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 15-3/15-1/2011/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सहकारी (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहकारिता	1. वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक/विस्तार अधिकारी.	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि.	
2.		2. उप अंकेक्षक/ सांख्यिकीय सहायक	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक उपाधि.	
3.		3. चालक	18 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा चार पहिये वाहन चालन की वैध चालक अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लायसेंस) होना चाहिए.	

टीप :— छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी."

No. F 15-3/15-1/2011/3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Subordinate Co-operative (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 1967, namely :—

AMENDMENT

In the said rules ,—

For Schedule-III, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-III
(See rule-8)

S. No.	Name of the Department	Name of Service	Minimum Age Limit	Maximum Age limit	Minimum Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Co-operative	1. Senior Co-operative Inspector/Extension Officer.	21 Year	30 Year	Graduate Degree from any recognized University.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Co-operative	2. Sub-Auditor/ Statistical Assistant.	21 Year	30 Year	Graduate Degree in Commerce from any recognized University.	
3.		3. Driver	18 Year	30 Year	8th Class Passed from any recognized Education Board and having valid driving license to drive four wheeler vehicle.	

Note :— The upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the State Government, from time to time."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 5 -8/दो/आठ/परि/2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम 1974 अनुसूची-एक, (1 यम 6) के वेतनमान में डॉ. डी. एन. तिवारी समिति तथा अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुशंसानुसार निम्नानुसा संशोधन करता है :—

"संशोधन"

(परिशिष्ट-1)

स. क्र. (1)	से । में सम्मिलित पद के नाम (2)	संशोधित वेतनमान दिनांक 01-04-2006 से स्वीकृत (3)	छठवें वेतनमान में निर्धारित तत्स्थानी वेतनमान+ग्रेड पे (4)
1.	टाएंट्री आपरेटर	4000-6000	5200-20200+2400

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 5 8/दो/आठ/परि/2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1972 अनुसूची-एक, (नियम 4) के वेत नान में डॉ. डी. एन. तिवारी समिति तथा अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुशंसानुसार निम्नानुसार संशोधन करता है :—

"संशोधन"

(परिशिष्ट-1)

स. क्र. (1)	सेवा में सम्मिलित पद के नाम (2)	संशोधित वेतनमान दिनांक 01-04-2006 से स्वीकृत (3)	छठवें वेतनमान में निर्धारित तत्स्थानी वेतनमान+ग्रेड पे (4)
1.	सहायक परिवहन आयुक्त	8000-13500	15600-39100+5400

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2011

क्रमांक/एफ 7-49/2010/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 15-03-2011 द्वारा कोरबा विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

कोरबा विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टर में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रिसदी कोरबा	482/1 क	0.90	प्रस्तावित उद्यान एवं प्रस्तावित मार्ग	शैक्षणिक (स्कूल एवं छात्रावास)

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण संस्था निर्मल कान्वेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल, कोरबा कोसाडीह को शैक्षणिक एवं छात्रावास के प्रयोजन के लिये है.

3. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

क्रमांक-एफ 7-57/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मल्हार, निवेश क्षेत्र, जिला बिलासपुर का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

मल्हार, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में ग्राम सरसेनी, बुढ़ीखार, मल्हार एवं जैतपुरी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम जैतपुरी, बेटरी, मल्हार एवं जुनवानी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम जुनवानी, धुरवाकरी, हरदी एवं भगवानपाली ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम भगवानपाली, धनगांव, बिनेका, बिदियाडीह, मटिया एवं सरसेनी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./29/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	धरमपुरा प. ह. नं. 54	351/12	0.011	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-6 रायपुर से माना एयरपोर्ट (हवाई तल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			304/2	0.176		
			304/5-6-8	0.128		
			304/1-3	0.136		
			303/1	0.012		
			305	0.020		
			304/4	0.030		
		योग	7	0.513		

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./30/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	तेलीबांधा प. ह. नं. 113	612/2, 614/1, 615/5	0.007	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-6 रायपुर से माना एयरपोर्ट (हवाई तल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			616	0.010		
			617/1	0.120		
			617/646	0.015		
		योग	4	0.152		

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./31/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डूमरतराई प. ह. नं. 54	110/9-10	0.060	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-6 रायपुर से माना एयरपोर्ट (हवाई तल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			110/6, 7, 15, 16, 17, 18	0.030		
			142	0.011		
			155	0.012		
		योग	4	0.113		

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./32/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	फुंडहर प. ह. नं. 114/115	140/23-24, 141/23-24, 142/23-24	0.004	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-6 रायपुर से माना एयरपोर्ट (हवाई तल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			145	0.030		
			144/1	0.020		
			139	0.028		
			208/1, 209/5	0.122		
			212/3, 212/4	0.001		
			218/3	0.023		
			102	0.014		
			202/11	0.061		
			202/12	0.039		
			194	0.010		
			योग	**0.352**		

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./33/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	टेमरी प. ह. नं. 114	39/7	0.013	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-6 रायपुर से माना एयरपोर्ट (हवाई तल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			57/1, 57/5, 8	0.180		
			70/4	0.016		
			72/5-6	0.017		
			73/12	0.006		
			73/13	0.008		
			73/14	0.020		
			355	0.024		
			77/8, 78/8, 79/8	0.030		
			77/4, 78/4, 79/4	0.020		
			33/1, 5	0.048		
			77/6, 78/6, 79/6	0.020		
			77/5, 78/5, 79/5	0.026		
			361/1	0.012		
			289/3	0.004		
			290/10	0.015		
			298/3	0.094		
			298/4	0.011		
			337/5	0.005		
			332/1	0.031		
			329/2	0.053		
			325/2	0.102		
			310/3	0.058		
			311/23	0.036		
			312/2	0.020		
			33/1-5	0.048		
			41/5	0.048		
			75/3	0.001		
			76/3	0.002		
			40/3	0.036		
			311/9, 29	0.006		
			331/1, 330/1	0.063		
			354/1-3	0.020		
			362/4	0.036		
			290/7	0.056		
			योग	**1.185**		

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./34/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	अमलीडीह प. ह. नं. 114	265	0.048	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-6 रायपुर से माना एयरपोर्ट (हवाई तल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			289	0.010		
			289/10, 289/50	0.072		
			289/92	0.064		
			289/49, 289/90	0.085		
			289/28-39-68	0.052		
			289/174	0.022		
		योग	7	0.353		

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./35/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	बनरसी प. ह. नं. 54	339/1	0.008	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-6 रायपुर से माना एयरपोर्ट (हवाई तल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			340/1	0.044		
			348/1, 2, 3	0.008		
			349/1	0.030		
			392/1	0.034		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			388/5	0.046		
			388/6, 388/7	0.044		
			383/2, 3, 4, 5	0.212		
			347/2, 348/1, 2, 3	0.054		
		योग	9	0.480		

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./36/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	पुरैना प. ह. नं. 113	337/2, 337/6	0.020	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-6 रायपुर से माना एयरपोर्ट (हवाई तल) के दाहिनी ओर मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			331/1	0.022		
			331/1	0.016		
			347	0.001		
			341	0.014		
			409	0.008		
			410, 3-13	0.062		
			409/8, 409/4, 390/1, 391, 410	0.100		
		योग	8	0.243		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	अमलीभौना प. ह. नं. 39	30.850	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सरवानी प. ह. नं. 39	8.861	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	छोटेभंडार प. ह. नं. 39	3.759	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बड़ेभंडार प. ह. नं. 39	14.191	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 2 नवम्बर 2011

धारा 4 (1) में संशोधन

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2010-11.—मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड, रायगढ़ ने ग्राम भेंड़ा की निजी भूमि कुल खसरा नंबर 55 रकबा 16.689 हेक्टेयर को 765/400 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर भू-अर्जन अधिनियम धारा 4 (1) सहपठित धारा 17 (1) के तहत निम्नानुसार प्रकाशित कराया गया है :—

1. छ.ग. राजपत्र भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 207 में दिनांक 25-2-2011
2. स्थानीय समाचार पत्र रायगढ़ संदेश एवं केलो प्रवाह में दि. 29-1-2011
3. ग्राम में चस्पा एवं मुनादी द्वारा दिनांक 8-2-2011

उक्त अधिसूचना में तहसील घरघोड़ा के बजाय तहसील रायगढ़ का प्रकाशन हुआ है. अतः भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधान अनुसार उपरोक्त त्रुटि सुधार की कार्यवाही धारा 13 के तहत की जा रही है, फलस्वरूप उपरोक्त तिथियों में प्रकाशित अधिसूचना में तहसील रायगढ़ को सुधारा जाकर तहसील घरघोड़ा माना जावे, इस अधिसूचना में भूमि के खसरा नंबर व रकबा में कोई परिवर्तन नहीं की जा रही है.

रायगढ़, दिनांक 2 नवम्बर 2011

धारा 4 (1) में संशोधन

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2010-11.—मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड, रायगढ़ ने ग्राम बरपाली की निजी भूमि कुल खसरा नंबर 58 रकबा 30.876 हेक्टेयर को 765/400 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर भू-अर्जन अधिनियम धारा 4 (1) सहपठित धारा 17 (1) के तहत निम्नानुसार प्रकाशित कराया गया है :—

1. छ.ग. राजपत्र भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 207 में दिनांक 25-2-2011
2. स्थानीय समाचार पत्र जनकर्म एवं केलो प्रवाह में दि. 29-1-2011
3. ग्राम में चस्पा एवं मुनादी द्वारा दिनांक 8-2-2011

उक्त अधिसूचना में तहसील तमनार के बजाय तहसील रायगढ़ का प्रकाशन हुआ है. अतः भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधान अनुसार उपरोक्त त्रुटि सुधार की कार्यवाही धारा 13 के तहत की जा रही है, फलस्वरूप उपरोक्त तिथियों में प्रकाशित अधिसूचना में तहसील रायगढ़ को सुधारा जाकर तहसील तमनार माना जावे, इस अधिसूचना में भूमि के खसरा नंबर व रकबा में कोई परिवर्तन नहीं की जा रही है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 01/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	सोंठी प. ह. नं. 31	2.37	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	रामावतार जलाशय का फीडर चैनल निर्माण बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 02/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	बिटकुला प. ह. नं. 32	5.68	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	रामावतार जलाशय का फीडर चैनल निर्माण बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्रमांक 01/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) सहपठित धारा 17 (4)के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	लाखासार	2.858	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली (छ.ग.)	विंध्यासर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-छिछौर उमरिया, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.480 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	846	0.211
	851/1	0.080
	852/1	0.028
	852/3	0.048
	853	0.024
	854/1	0.085
	855/1	0.024
	857/1	0.004
	873/2	0.100
	874	0.069
	875	0.069
	876	0.032
	878/1	0.004
	834	0.106
	877	0.008
	1014	0.588
योग	16	1.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की ठाकुरपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-परसापाली, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.846 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6/1	0.069
6/6	0.061
6/8	0.008
6/9	0.061
6/10	0.008
6/19	0.020
23/1 क	0.097
6/20	0.097
6/28	0.089
6/29	0.004
29/3	0.028
6/30	0.020

(1)	(2)
29/2	0.032
23/1 ख	0.048
29/1	0.012
30	0.097
98	0.008
97	0.097
101/2	0.045
103	0.069
170	0.016
102	0.065
104/2	0.045
104/3	0.020
104/5	0.020
107/1	0.105
167	0.004
181	0.016
107/2	0.028
160/1	0.065
161/1	0.028
171	0.097
159	0.012
173/1	0.024
162/1	0.041
173/3	0.028
164	0.032
172/3	0.024
165	0.045
166	0.028
180	0.028
172/1	0.020
172/2	0.020
158/4	0.008
160/2	0.057
योग 45	1.846

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की परसापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-पुसल्दा, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.759 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
452/2	0.004
452/3	0.057
454/2	0.093
454/1	0.008
453	0.101
486/10	0.314
486/5	0.041
486/9	0.258
486/7	0.028
452/5	0.049
794/2	0.045
788/1 क	0.004
783/2 क	0.004
784	0.024
785/2	0.032
575	0.222
571	0.041
568/1	0.069
567/2	0.041
394/2	0.020
389/8	0.004
388/3	0.053
794/1	0.032
893/2	0.093
568/3	0.061
877/1	0.049

(1)	(2)
568/4	0.097
683	0.069
568/5 क	0.077
568/5 ख	0.121
568/6	0.149
822	0.016
826/1	0.012
826/2	0.032
827/2	0.024
831/1	0.057
827/1	0.020
385/1	0.008
573/2	0.065
573/3	0.049
684/2	0.041
572	0.202
571/2	0.041
685	0.024
488/1	0.032
373	0.270
375/4	0.133
394/3	0.004
388/2	0.053
389/6 क	0.012
388/4	0.024
389/7	0.045
387/1	0.016
387/3	0.105
384/2	0.020
567/1	0.065
567/3	0.036
684/1	0.041
375/2	0.142
394/4	0.041
384/1	0.073
791	0.004
792	0.004
452/4	0.036
454/3	0.053
823/2	0.077
826/3	0.024
878/2	0.024
783/1 क	0.049
783/1 ख	0.065
876/3	0.133
886	0.157
894/1	0.129
385/2	0.041
योग 74	4.759

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की अमलीपाली वितरक नहर से शंकरपाली माइनर-1 एवं शंकरपाली माइनर-2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-कोतासुरा, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.484 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
873/3	0.073
877	0.008
878	0.045
879	0.032
881/1	0.036
882	0.041
933/2	0.024
883/2	0.049
917	0.022
883/4	0.002

(1)	(2)
883/5	0.006
883/6	0.053
883/7	0.101
900	0.125
902/1	0.032
902/2	0.036
903/1	0.057
907/5	0.004
904/3	0.061
905/1	0.012
927/1	0.061
907/3	0.045
909/1	0.036
913/1	0.020
914/1	0.049
914/2	0.093
919	0.085
920	0.008
921/2	0.069
921/4	0.004
923/2	0.061
926	0.057
912	0.020
915	0.057
योग 34	1.484

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की टिनमिनी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.